<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – _____ /2021

(विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 19648/ 2019 से उत्पन्न)

इलाहाबाद बैंक और अन्य ..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

कृष्ण पाल सिंह ..... प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी,</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील अपीलकर्ता–बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो सर्विस सिंगल नम्बर –692/1998 में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के 25.04.2019 के आदेश से व्यथित है। पूर्वोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.10.1997

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को रद्द कर दिया है, जहां तक यह प्रतिवादी को पिछले बयान के साथ बहाल करने से इनकार करने और निर्देश जारी करने से संबंधित है, सभी परिणामी लाभों के साथ प्रत्यर्थी को बहाल करने के लिए अपीलकर्ता को आदेश जारी किया जाता है।

3. उक्त प्रतिवादी को 23.09.1985 को अपीलकर्ता–इलाहाबाद बैंक में लिपिक–सह–कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा की पुष्टि 24.03.1986 को की गई थी। वर्ष 1989 के दौरान, वह औरंगाबाद शाखा, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में तैनात थे। 08.02.1989 को, बैंक में आग दुर्घटना हुई और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैंक अभिलेखों को जलाने की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रत्यर्थी की मिलीभगत पर संदेह करते हुए , उसे 13.02.1989 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। अंततः, जांच पूरी होने पर, प्रत्यर्थी को 22.08.1991 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभागीय अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने 27.02.1992 को खारिज कर दिया और आगे, दया याचिका को भी आदेश दिनांक 27.05.1992 के तहत खारिज कर दिया गया।

4. प्रतिवादी ने औद्योगिक विवाद को उठाया और उसी को औद्योगिक विवाद संख्या 98/1994 में केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण –सह–श्रम न्यायालय, कानपुर को भेजा गया। न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय ने 07.10.1997 के आदेश जारी कर दिया गया और कहा है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ कथित कदाचार साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस आधार पर कि विश्वास के अभाव में प्रबंधन द्वारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एक मामला बनाया गया है और बहाली के आदेश के बदले रु 30,000/– के मुआवजा के भुगतान का आदेश दिया है। प्रत्यर्थी–कर्मचारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर वापस मजदूरी के साथ बहाली की मांग करते हुए, सर्विस सेवा नम्बर 692/1998 में रिट याचिका के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय में ले गया। उच्च न्यायालय ने 25.04.2019 को आक्षेपित आदेश से, सभी परिणामी लाभों के साथ प्रत्यर्थी को बहाल करने का आदेश दिया है। इस अपील में उक्त आदेश को चुनौती का विषय बनाया गया है। नोटिस जारी करते हुए, 23.08.2019 के आदेश को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए बैक मजदूरी के साथ बहाली के निर्देश के खिलाफ अंतरिम राहत दी।

5. अपीलकर्ता–बैंक के लिए विद्वत अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गौतम और प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री राकेश तनेजा को हमने सुना।

6. संबंधित बैंक के अभिलेख को जलाने से संबंधित घटना में प्रत्यर्थी की भागीदारी का आरोप लगाया गया था जिसके तहत बैंक द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था। श्री बालक राम पूर्वोक्त घटना में मुख्य अभियुक्त थे, और प्रत्यर्थी श्री बालक राम के मित्र होने के आधार पर संदेह किया गया था कि गवाहों में से एक श्री राम सिंह, MW–1, ने अनुशासनात्मक जांच की कार्यवाही में यह दर्शाया है कि श्री बालक राम और अन्य घटना की तारीख पर एक साथ इकट्ठे हुए थे। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पाया है कि हालांकि यह एक मजबूत संदेह था, लेकिन सेवा से बर्खास्त करने के लिए उनके खिलाफ कदाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पाया है कि बैंक ने प्रत्यर्थी पर विश्वास

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खो दिया है और बहाली के बदले में 30,000/– रुपये के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया है। जब उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो यह पाया गया है कि संदेह, हालांकि, गंभीर हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में कानूनी प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। आगे एक निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी है, और उसके द्वारा सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली का निर्देश देकर रिट याचिका को अनुमति दी है।

7. इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी को 23.09.1985 को क्लर्क–कम–कैशियर के रूप में बैंक में नियुक्त किया गया था और उसे 13.02.1989 को निलंबित कर दिया गया था और 22.08.1991 के आदेश की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। निलंबन अवधि सहित, वह बर्खास्तगी से पहले लगभग छह साल तक बैंक सेवा में रहे। इसके बाद, वह विभागीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष असफल रहे और औद्योगिक न्यायाधिकरण ने बहाली के बदले 30,000/– रुपये के एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।

8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बहाली के लिए जारी किए गए निर्देशों को इस न्यायालय ने 23.08.2019 को रोक दिया था। इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी–कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी। हालांकि संदेह मजबूत था लेकिन कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए अभिलेख पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था। हालांकि, जैसा कि कर्मचारी ने केवल लगभग छह साल की अवधि के लिए काम किया है और वह पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, यह उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत के संशोधन के लिए एक उपयुक्त मामला है। पूर्ण पिछले

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं है, जहां समाप्ति/बर्खास्तगी कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाई जाती है। यह देखते हुए कि प्रतिवादी केवल लगभग छह वर्षों के लिए बैंक की प्रभावी सेवा में था और वह 1991 से सेवा से बाहर है, और इस बीच, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी, हम इसे उचित समझते हैं कि एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा देकर न्याय का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। हम तदनुसार आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी को 15 लाख रुपये के एकमुश्त मुआवजे का प्रत्यक्ष भुगतान करते हैं। पूर्वोक्त अवधि के भीतर समान भुगतान करने में विफल रहने पर, प्रतिवादी भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज के लिए हकदार है।

9. यह सिविल अपील आंशिक रूप से अनुमत है।25. 04. 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित किया गया है।

.....

(न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी)

.....

(न्यायमूर्ति संजीव खन्ना)

नई दिल्ली

20 सितंबर, 2021

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।